

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

पत्रावली का पेश
कम/म...
17.05.19

14⁰⁵/₁₉ पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप
प्रतिवादी सं० 1, 5 व 8 के अधिवक्ता के धार-धर
आवाज लगाकर कई दिनों तक प्रतिवादीगण के
अधिवक्ता अथवा उनके प्रतिवादीगण स्वयं धरि
अदालत नहीं आये। अतः उनके प्रतिवादी सं० 1, 5
व 8 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लई
जाती है। शेष प्रतिवादी सं० 6 व 7, 9, 10 की
तालीम पूर्व में सम्पन्न रूप से होकर लौटी हो। अधिवक्ता
कोई धरि अदालत नहीं आया है। अतः प्रतिवादी
सं० 6 व 7, 9, 10 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
अमल में लई जाती है। कारण पत्रावली दि०
27-05-2019 के पेश हो।

17.05.19

27⁰⁵/₁₉ पत्रावली पेश। वकील वादी उप
पत्रावली पूर्व दिशा द्वारा दि० 03/06/19
को पेश हो। पुनश्च वकील वादी
द्वारा मुख्य परीक्षण शपथपत्र PW1 से
PW-3 पेश किए, जो शा. पत्रावली किए
गए। वकील वादी की बहस सुनी
गई। पत्रावली वाले आदेशार्थ
उक्त रिपोर्ट दिनांक 03/06/19 को
पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। उल्लेख में वकील वादी की
बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली,
पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रैकॉर्ड, मुख्य परीक्षण

तारीख हुक्म

चाबल पेश किये गये शपथ पत्रों का अवलोकन
 किया गया जिससे वादी का वाद स्वीकार
 किया जाते योग्य पाया जाते पर न्यायद्वारा
 में स्वीकार किया जाकर मूलावधि अनुरोध
 दावा डिक्री किया जाता है। उक्त में
 पृथक् से विस्तृत निर्णय में द्वारा लिखा
 जाकर शामिल फतावली किया गया। फतावली
 केसल शमात होकर नम्बर से कम हो तथा
 वाद तन्मूलक दायित्व दस्त हो। निर्णय
 छुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/06/19.
 उपजज अधिकारी
 जयपुर (सीकर)

अनिम-डिग्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड 9 अधिकारी
 व इजलास श्री महीपाल सिंह, RAS मुकाम खंडेला

① मोहनलाल ✖ बनाम ① लक्ष्मण पुत्र बालू राम ✖
 दावा बाबत इस्तकाल हक व ख्यापी निवेधाता

मुकद्दमा नं. 123 सन 2017

यह मुकद्दमा आज वारते इनफिसाल कतई रुबरु श्री महीपाल सिंह, RAS
 व हाजिरी श्री राजेंद्र कुमार मीणा मिनजानिब मुदई रुबरु

मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

है आप हों पटवा हल्ला इलेपुटा तहसील खंडेला जिला नील (राज.)
अस्थित कृषि भूमि ख.नं. 268/110, 269, 270 कवा 2.80 हे. में हिस्सा
22/147 की जम्हदारी से उत्तिवादी सं. 1 एवं उत्तिवादी सं. 2 ता 8 प्रति-पिता-
दावा हुकम इजायत का नाम हजफ किया जाना वादी को उक्त हिस्से का ✖.

निज मुबलिंग बाबत
 खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह
 तारीख अदायगी तक का अदा करें। फीसदी काबल की तारीख से

वसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख

जारी की गई। 03 माह 06 सन 2019 को



दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
 ओहदा खम्डेला (सीकर)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

1 खर्चा के फार्म पर कृत खर्चा हक दी फनीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो पर नहीं, दर्ज करना जरुरी है

* पुत्र बालराम जाति कुमावत निवासी वार्ड नम्बर-16 खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.) जमीनें मुखार खास नवीन कुमार चौहरा पुत्र राजेश कुमार चौहरा जाति कासन निवासी वार्ड नम्बर-19 खण्डेला जिला सीकर (राज.) - वादी

कनाम

* जाति कुमावत निवासी वार्ड नं. -16 खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)

② श्रवणी पत्नी दुर्गापुत्र जाति कुमावत निवासी ढाणी सुतलपखाली तहसील श्रीमार्थोपुर जिला सीकर (राज.)

③ माया देवी पुत्री दुर्गापुत्र ④ हल्का देवी पुत्री दुर्गापुत्र

⑤ सीता देवी पुत्री दुर्गापुत्र जाति कुमावत निवासी पुपनावास तहसील नीमनाथाना जिला सीकर (राज.)

⑥ लीशोकर पुत्र दुर्गापुत्र ⑦ पूजा पुत्री पूरण पौत्री दुर्गापुत्र

⑧ पिंकी पुत्री पूरण पौत्री दुर्गापुत्र जाति कुमावत निवासी ढाणी सुतलपखाली तहसील श्रीमार्थोपुर जिला सीकर (राज.)

⑨ पटनाली हल्का इल्हेपुर तहसील खण्डेला

⑩ भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर (राज.)

- उत्तमदीक्षण

* खातेदार कारतकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल इत्तमद हो।



03/06/19
 उपखण्ड अधिकारी
 खण्डेला (सीकर)